माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/835/परीक्षा समन्वय/2018 भोपाल दिनांक 3/08/2018

// आदेश //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2018–19 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के आवेदन पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियमित छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका आदेश क्रमांक 785–86 दिनांक 22.06.2018 जारी की गई है।

प्रवेश एवं मार्गदर्शिका के बिन्दू क्रमांक–9 नामांकन (मण्डल विनियम 1994) 9.1 मण्डल की समस्त सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन होना अनिवार्य है। अन्य बोर्ड/अन्य राज्यों के छात्र के नामांकन हेतु आवश्यक कार्यवाही Online के माध्यम से दिनांक 12 अगस्त 2018 तक अनिवार्य रूप से करेंगे।

कतिपय संस्थाओं द्वारा सत्र 2017–18 में छात्रों के ऑनलाईन नामांकन फार्म भर दिये गये थे, किन्तु शुल्क जमा नहीं कर पायें हैं, संस्थायें ऐसे छात्रों के ऑनलाईन नामांकन शुल्क दिनांक 12 अगस्त 2018 तक ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से जमा कर सकेंगे।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/836/परीक्षा समन्वय/2018 भोपाल, दिनांक: 3/08/2018

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– निज सचिव–अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
3– निज सहायक–प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनु. जाति, कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
4– कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
5– आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
6– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7– आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8– संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
9– समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10– समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
11– संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
12– सहायक आयुक्त, समस्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
13– समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
14– माननीय मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
15– आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधि./समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
16– पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.मंडल भोपाल।
17– नि.स.– सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
18– प्राचार्य, समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थायें, मध्यप्रदेश।
19– लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक/1602/ संबद्धता/2018 भोपाल, दिनाँक 30/06/2018

प्रति

आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः— विभागीय मान्यता/अनुमति प्राप्त संस्थाओ के पोर्टल पर प्रविष्टी करने एवं सम्वद्धता शुल्क जमा करने की तिथि के संबंध में।

—//—

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक–एफ 37–2/2015/20–3 भोपाल दिनांक 31.03.2017 द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (कमाक 23 सन 1965) की धारा 27 के अन्तर्गत पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतदद्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की विभागीय मान्यता/अनुमति एवं मान्यता वृद्धि हेतु स्कूल शिक्षा विभाग मत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 प्रसारित कर सत्र 2018–19 से अशासकीय हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को विभागीय मान्यता/अनुमति एवं उनके नवीनीकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया है।

मण्डल के पत्र क्रमांक 81/मान्यता समन्वय/2014 दिनांक 18.06.2014 की कंडिका 2.1 के अनुसार विभागीय मान्यता/अनुमति प्राप्त वर्ष 2014–15, 2015–16 2016–17 2017–18 नवीनीकरण सम्वद्धता शुल्क एवं वर्ष 2018–19 की नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण/अतिरिक्त संकाय संस्थाओ की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टी एवं ऑनलाइन सम्पद्धता शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 01.07.2018 से 31.07.2018 तक नियत की जाती है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक/1603 / संबद्धता /2018 भोपाल दिनाँक 30/06/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव अपर सचिव म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अतिरिक्त सचिव/अपर संचालक वित्त/परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आंचलिक/संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त प्राचार्य शासकीय,/अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मध्यप्रदेश।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & **E-mail id** : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक/1604/ संबंद्धता/2018 भोपाल, दिनाँक 03/07/2018

//आदेश//

मण्डल द्वारा हाई स्कूल/हा.से विद्यालयो की सम्वद्धता हेतु जारी दिशा निर्देश कमांक 81/मान्यता समन्वय/दिनांक 18.06.2014 में प्रावधान एवं विगत 3 शैक्षणिक सत्रो में संस्थाओ द्वारा जमा की गई संबंद्धता शुल्क/सम्वद्धता शुल्क समायोजन के प्रकरणों के परीक्षण के आधार पर निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

1– मण्डल खाते में जमा मांन्यता शुल्क में से सम्वद्धता शुल्क का समायोजन चाहे जाने पर संस्था को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा जमा की गई मान्यता शुल्क के चालान कमांक एवं दिनांक की प्रविष्टि का विकल्प दिया गया था। कतिपय संस्थाओं की समस्त जमा राशि का समायोजन हो चुका है। जिन संस्थाओ की समस्त जमा राशि का समायोजन हो चुका है। ऐसी संस्थाओं को आगामी शैक्षणिक सत्र में सम्वद्धता नवीनीकरण हेतु वर्तमान प्रभावशील नियमों के अनुसार सम्वद्धता शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से मण्डल कोष में जमा करना अनिवार्य है।

2– जिन संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करते समय जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्राचार्य के नाम से संयुक्त एफ.डी. कराई गई थी, ऐंसी संस्थाओं की कोई भी राशि मण्डल खाते में जमा नही है। परन्तु ऐसी संस्थाओं द्वारा सम्वद्धता दिशा निर्देश के विन्दु कमांक 4.6 के प्रावधान के तहत ऑनलाइन सम्वद्धता नवीनीकरण के आवेदन में उक्त एफ.डी का कमांक एवं दिनांक की प्रविष्टि कर समायोजन कराया गया है, जो नियमानुसार नही है। अतः ऐसी संस्थाओं को भी सम्वद्धता नवीनीकरण हेतु वर्तमान प्रभावशील नियमो के अनुसार सम्वद्धता शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से मण्डल कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

3– वह संस्थाऐं जिनके द्वारा मण्डल कोष में सुरक्षा निधि राशि जमा कराई गई थी उक्त राशि में से वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक की सुरक्षा निधि राशि से 5 वर्ष का संबंद्धता शुल्क में समायोजित करा दिया गया है। ऐसी संस्थाओ की शेष राशि की वापसी की कार्यवाही संस्था द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर की जा सकेगी।

4– जिन संस्थाओ की सुरक्षा निधि राशि मण्डल कोष में पूर्व में जमा है। परन्तु न तो सम्वद्धता शुल्क में समायोजन कराया गया है, और न ही ऑनलाइन के माध्यम से सम्वद्धता शुल्क जमा किया गया है। ऐंसी संस्थाओं को वर्तमान प्रभावशील नियमो के अनुसार सम्वद्धता शुल्क नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन मण्डल कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि राशि के रूप में पूर्व मे जमा राशि का समायोजन सम्वद्धता शुल्क के विरुद्ध नही किया जाऐगा। जमा सुरक्षा निधि राशि की वापसी नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर की जा सकेगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही नही करने की दशा में ऐसी समस्त संस्थाओं की परीक्षा से संबंधित मण्डल की आगामी सत्र की समस्त कार्यवाही रोकी जावेगी।

5– ऐसी संस्थाऐ जिनके द्वारा नवीन मान्यता /मान्यता नवीनीकरण के चालान कमांक अंकित कर मण्डल के आदेशों एवं निर्देशों का पालन नही किया गया है तथा मण्डल के सम्वद्धता नियमो के अनुसार सम्वद्धता शुल्क ऑनलाइन मण्डल कोष में जमा नही किया गया है, ऐसी समस्त संस्थाओं को मण्डल की आगामी परीक्षा से संबंधित परीक्षा आवेदन पत्र भरने आदि की सुविधा नही दी जावेगी।

6 वह संस्थाऐ जिनके द्वारा हाई स्कूल/हा.से दोनो में से किसी एक परीक्षा का सम्वद्धता शुल्क जमा किया गया, ऐसी संस्थाओ की हाई स्कूल एवं हा.से में से जिस परीक्षा का सम्वद्धता शुल्क जमा नही है, उस परीक्षा से संबंधित मण्डल की आगामी सत्र की समस्त कार्यवाही रोकी जावेगी।

7– संस्थाओ को शासन द्वारा जितने अवधि के लिये नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण प्रदाय किया जाऐगा उतनी ही अवधि के लिये सम्वद्धता/सम्बद्धता नवीनीकरण मण्डल द्वारा प्रदान की जावेगी।

(अध्यक्ष के आदेशानुसार)

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक / 1605 / संबंद्धता / 2018 भोपाल दिनाँक 03 /07/ 2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव अपर मुख्य सचिव म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अतिरिक्त सचिव / अपर संचालक वित्त / परीक्षा नियंत्रक / उप सचिव / समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आंचलिक / संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण / जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त प्राचार्य शासकीय, / अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मध्यप्रदेश।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक / 1631 / संबद्धता / 2018 भोपाल, दिनाँक 26 / 07 / 2018

प्रति

आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:– विभागीय मान्यता / अनुमति प्राप्त संस्थाओ के पोर्टल पर प्रविष्टी करने की तिथि के संबंध में।

----//----

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक–एफ 37–2 / 2015 / 20–3 भोपाल दिनांक 31.03.2017 द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (कमाक 23 सन 1965) की धारा 27 के अन्तर्गत पदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओ की विभागीय मान्यता / अनुमति एवं मान्यता वृद्धि हेतु मान्यता नियम 2017 प्रसारित कर जिला शिक्षा अधिकारी / संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी / संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु कक्षा 9वी / 11वी एवं सत्र 2018–19 कक्षा 10वी 12वी की दिनाक 12.08.2017 के पूर्व नवीन मान्यता / अतिरिक्त संकाय की मान्यता प्रदाय की गई है। उक्त संस्थाओ में से जिन संस्थाओ द्वारा सम्बद्धता शुल्क का भुगतान नही किया गया है। उन संस्थाओ को सत्र 2018–19 हेतु कक्षा 10वी / 12वी की सम्बद्धता मान्य करते हुये नामाकन एवं परीक्षा फार्म भरने एवं संबद्धता शुल्क दिनांक 12.08.2018 तक जमा करने का अवसर प्रदाय किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी / संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा वर्ष 2017–18 में दिनांक 12.08.2017 के बाद जिन संस्थाओ को नवीन मान्यता / अतिरिक्त संकाय की मान्यता प्रदाय की गई है, उन संस्थाओं को सत्र 2018–19 कक्षा 9वी / 11वी की सम्बद्धता हेतु दिनांक 12.08.2018 तक संबंद्धता शुल्क जमा करने का अवसर दिया जाता है।

वर्ष 2014–15, 2015–16 2016–17 2017–18 की मान्यता नवीनीकरण / अतिरिक्त संकाय की मान्यता प्राप्त ऐसी शासकीय / अशासकीय संस्थाऐं जिनको संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा निर्धारित समयावधि में मान्यता नवीनीकरण प्रदाय की गयी है। उनकी सम्बद्धता नवीनीकरण **G2G** पोर्टल पर प्रविष्टि एवं संस्थाओं को सम्बद्धता शुल्क के ऑनलाईन भुगतान हेतु दिनांक 31.07.2018 तक का समय प्रदाय किया गया था, उक्त दिनांक 12.08.2018 तक की वृद्धि की जाती है।

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक / 1632 / संबद्धता / 2018 भोपाल दिनाँक 26 / 07 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अध्यक्ष / सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर संचालक वित्त / परीक्षा नियंत्रक / उप सचिव / समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आंचलिक / संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं शासकीय संस्थाओ को सम्बद्धता प्रदाय किये जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण / जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल